Kind attention

<u>शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स</u>

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश–।

टावर–1 चतुर्थ तल, (अनु0–18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602

संख्या:अठ्ठारह–आशु0वरिष्ठता)–2022 दिनांक: लखनऊ: अगस्त 13,2022

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र–12 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

----

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक: 10.08.2020 को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के 337 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 186 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर **http://uppolice.gov. in में 'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment** पर **upload** अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक: 23.07.2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015," यथा–संशोधित दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत **पुलिस उपनिरीक्षक** (गोपनीय) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।

3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी–प्रमोशन–नार्मस/2017 दिनांक:18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके कम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4. भर्ती/चयन वर्ष–2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु **<u>अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के कमॉक–90 तक</u>** के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) का विवरण <u>नवीन **बोर्ड प्रपत्र–12**</u> में प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा **सेवा अवधि की गणना हेतु कट–आफ–डेट दिनांक: 01.07.2022 होगी।**

5. कर्मियों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **<u>कमॉक–100</u>** तक के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा–पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा–पत्र में अंकित करा लिया जाय।(**<u>स्वघोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न है।</u>**)

6. यदि स्वघोषणा–पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) द्वारा कोई अभियोग/ विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र–12 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही **<u>सभी पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के स्वघोषित घोषणा–पत्र भी बोर्ड प्रपत्र–12 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।</u>**

7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बेन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं

परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत् में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षो के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. **नवीन बोर्ड प्रपत्र–12 (48 कालम) में सूचनायें ए–3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा।** यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र–12 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की **चरित्रपंजिकायें** एवं **बोर्ड प्रपत्र–12 (48 कालम) में सूचनायें (ए–3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा–पत्र दोनों 03–03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0 तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।**

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांकः19.07.2022 को पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **कमॉक–100** तक के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार **नवीन बोर्ड प्रपत्र–12 (48 कालम)** में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को **दिनांकः12.08.2022** तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोपरि।**

K send by 12-8-22

(सर्वेश कुमार राना)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपिः**निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6– अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7– पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
8– अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।
9– पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
10– पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

# स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————————पुत्र

——————————निवासी——————————थाना——————————जनपद——————————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)——————————————————————नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र——————————का पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:———को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————धारा——————————————थाना——————

जनपद—————में लम्बित है, जिसमें दिनांक:—————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांक:–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

# अनुपयुक्तो को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता चयन मानदण्ड के आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन के लिये निर्धारित बोर्ड प्रपत्र।

| क0सं0 | ज्येष्ठता सूची का कमांक | पात्रता सूची कमांक | पीएनओ नं0 | कर्मी का नाम | पिता का नाम | कैडर | वर्तमान तैनाती: जनपद–इकाई | वर्तमान तैनाती: परिक्षेत्र–अनुभाग | जन्मतिथि | पोषक पद पर भर्ती की तिथि | सेवा अवधि चयन वर्ष 2021 के लिए: वर्ष | सेवा अवधि: माह | सेवा अवधि: दिन | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य (चयन वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए): वर्ष | कब से | कब तक | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की श्रेणी | खराब, असंतोषजनक प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य परिणाम सहित: प्रतिकूल मन्तव्य को संसूचित करने की तिथि | प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | सत्यनिष्ठा (चयन वर्ष से पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए): सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | दीर्घ दण्ड –नियम–14(1) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण: दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना तथा पंक्तिच्युत करना जिसके अर्न्तगत निम्नतर वेतनमान या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति | लघुदण्ड–नियम–14(2) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण: दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड /अस्थायी रूप से कितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी गयी है।) | सम्बन्धित कार्मिक के विषय में धण्डोपरान्त विचारण सम्बन्धी सूचना: पूर्व में किस किस चयन वर्ष के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है। | वर्तमान निलम्बन (निलम्बन की वर्तमान स्थिति डीपीसी के दिनांक तक): निलम्बन आदेश संख्या, दिनांक | निलम्बन का कारण (अधिकतम 20 शब्दों में) | बहाली आदेश संख्या , दिनांक | लम्बित आपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है): अपराध संख्या/धारा/वर्ष/थाना/जनपद | आरोप पत्र संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक | अभियोग की अद्यतन स्थिति एवं न्यायालय का निर्णय व दिनांक | विभागीय कार्यवाही –नियम (14(1) के अन्तर्गत: जांच संगठन का नाम | आरोप का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | कार्मिक के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक | अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्ड/ अनुशासनिक कार्यवाही–/ अभियोग के विवेचनाधीन होने/अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय/ अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित): आदेश का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक | स्थानापन्न एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक के नाम का पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना | संस्तुति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 1 | 26754 | 1214 | 972013305 | मदन सिंह | श्री सौदान सिंह | आरक्षी पुलिस | आगरा | आगरा | 05-09-1975 | 17-08-1997 | 18 | 10 | 14 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020 | 01-01-16<br>01-01-17<br>01-01-18<br>01-01-19<br>01-01-20 | 31-12-16<br>31-12-17<br>31-12-18<br>31-12-19<br>31-12-20 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

नोट:–

1–प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना अंकित नहीं की जाती है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाये।

2–उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev Fonts में ही तैयार की जाये।

3–एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।

4–एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।

5–अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6–बोर्ड प्रपत्र पर अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जाये। ऐसा न होने पर बोर्ड स्तर पर

संलग्नक की चेक लिस्ट:–

नोट:–निम्नांकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये।

1– अभियोग पंजीकृत होने की दशा मे कर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तगण/कर्मी के नाम/पी0एन0ओ0 नम्बर/तैनाती सहित) आरोप पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या–45 में किया जाय।

2– विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र की प्रति।

3–दण्डादेश के विरुद्ध प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति।

4–बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्कम में जनपद रु

5–यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षों में कर्मी के सेवा में होने के बावजूद भी वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं किया गया है तो उसका कारण।

6–कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।

7–विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किया जाये।

8–विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पंजिका/ बोर्ड प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा निलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के साथ ही इस बोर्ड को भी सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

9–प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी यथा–असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या –19, 20 व 21

10– यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरुद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में नही किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नही माना जायेगा।

11–यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नही है बल्कि प्रचलित जांच के चलते प्रविष्टि आस्थिगित (DEFER) की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी, व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति की संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।

12–कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या –4/2022/13 (4) 2021/का–1–2022 दिनांकित 06–05–2022 के प्रस्तर–6 में यह भी उल्लिखित है कि विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

| चरित्र पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर | प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर | नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस अधीक्षक नाम, पद, मुहर | पुलिस अधीक्षक, कार्मिक स्तर पर दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षरित। नाम, पद, मुहर |
|---|---|---|---|---|

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश-।

टावर-1 चर्तुथ तल, (अनु0-18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602

संख्याःअठ्ठारह-233-(एसआई-लिपिक)-2022 दिनांकः लखनऊः अगस्त 3 ,2022

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र-15 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

---

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:28.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांकः 24.08.2021 को पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 625 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 579 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर **http://uppolice.gov.in** में **'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment** पर **upload** अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांकः 23.07.2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015," यथा-संशोधित दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत **पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक)** के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।

3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्याःपीआरपीबी-प्रमोशन-नार्मस/2017 दिनांकः18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके कम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4. भर्ती/चयन वर्ष-2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु **अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के कमॉक-50 तक (कमांक-4 व 5 को छोड़कर)** के पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) का विवरण **नवीन बोर्ड प्रपत्र-15 में** प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा **सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 01.07.2022 होगी।**

5. कर्मियों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **कमॉक-50 (कमांक-4 व 5 को छोड़कर)** तक के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय।(**स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।**)

6. यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) द्वारा कोई अभियोग/ विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-15 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही **सभी पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-15 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।**

7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं

परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत् में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षो के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. **नवीन बोर्ड प्रपत्र–15 (48 कालम) में सूचनायें ए–3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा।** यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र–15 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की **चरित्रपंजिकायें** एवं **बोर्ड प्रपत्र–15 (48 कालम) में सूचनायें (ए–3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा–पत्र दोनों 03–03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0 तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।**

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांक:28.07.2022 को पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **क्रमॉक–50 (कमांक–4 व 5 को छोड़कर)** तक के पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार **नवीन बोर्ड प्रपत्र–15 (48 कालम)** में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को **दिनांक:12.08.2022** तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोपरि।**

Re send by 12-8-22

(सर्वेश कुमार राना)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:**निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6– अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7– पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
8– अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।
9– पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
10– पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

# स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)———————————————————पुत्र

———————निवासी————————थाना———————जनपद————————
—

वर्तमान में(जनपद/इकाई)———————————————————नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र——————————का पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:———————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0———————धारा———————————थाना———————

जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनांक:——————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी———————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में———————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांक:–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

# अनुपयुक्तो को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता चयन मानदण्ड के आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन के लिये निर्धारित बोर्ड प्रपत्र।

| | | | | | | | वर्तमान तैनाती | | | | सेवा अवधि चयन वर्ष 2021 के लिए | | | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य (चयन वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए) | | | | खराब, असंतोषजनक प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य परिणाम सहित | | | सत्यनिष्ठा चयन वर्ष से पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए) | | | | दीर्घ दण्ड –नियम–14(1) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण | | | | लघुदण्ड–नियम–14(2) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण | | | | सम्बन्धित कार्मिक के विषय में दण्डोपरान्त विचारण सम्बन्धी सूचना | वर्तमान निलम्बन (निलम्बन की वर्तमान स्थिति डीपीसी के दिनांक तक) | | | लम्बित आपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है) | | | विभागीय कार्यवाही –नियम (14(1) के अन्तर्गत | | | अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्ड/ अनुशासनिक कार्यवाही–/ अभियोग के विवेचनाधीन होने/अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय/ अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित) | | स्थानापन्न एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक के नाम का पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | ज्येष्ठता सूची का क्रमांक | पात्रता सूची क्रमांक | पीएनओ नं0 | कर्मी का नाम | पिता का नाम | कैडर | जनपद–इकाई | परिक्षेत्र–अनुभाग | जन्मतिथि | पोषक पद पर भर्ती की तिथि | वर्ष | माह | दिन | वर्ष | कब से | कब तक | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की श्रेणी | प्रतिकूल मन्तव्य को संसुचित करने की तिथि | प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना तथा पंक्तिच्युत करना जिसके अर्न्तगत निम्नतर वेतनमान या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति | दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड /अस्थायी रूप से कितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी गयी है।) | पूर्व में किस किस चयन वर्ष के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है। | निलम्बन आदेश संख्या, दिनांक | निलम्बन का कारण (अधिकतम 20 शब्दों में) | बहाली आदेश संख्या , दिनांक | अपराध संख्या/धारा/वर्ष/थाना/जनपद | आरोप पत्र संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक | अभियोग की अद्यतन स्थिति एवं न्यायालय का निर्णय व दिनांक | जांच संगठन का नाम | आरोप का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | कार्मिक के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक | आदेश का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक | | संस्तुति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 1 | 26754 | 1214 | 972013305 | मदन सिंह | श्री चौहान सिंह | आरक्षी पुलिस | आगरा | आगरा | 05–09–1975 | 17–08–1997 | 18 | 10 | 14 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020 | 01–01–16<br>01–01–17<br>01–01–18<br>01–01–19<br>01–01–20 | 31–12–16<br>31–12–17<br>31–12–18<br>31–12–19<br>31–12–20 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

नोटः–

1–प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाये।
2–उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev Fonts में ही तैयार की जाये।
3–एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।
4–एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।
5–अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6–बोर्ड प्रपत्र पर अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जाये। ऐसा न होने पर बोर्ड स्तर पर :

संलग्नक की चेक लिस्टः–

नोटः–निम्नांकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये।
1– अभियोग पंजीकृत होने की दशा मे कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तगण/कर्मी के नाम/पी0एन0ओ0 नम्बर/तैनाती सहित) आराप पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या–45 में किया जाय।
2– विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र की प्रति।
3–दण्डादेश के विरुद्ध प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति।
4–बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्क्रम में जनपद स
5–यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षों में कर्मी के सेवा में होने के बावजूद भी वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं किया गया है तो उसका कारण।
6–कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।
7–विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किया जाये।
8–विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पंजिका/ बोर्ड प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के साथ ही इस बोर्ड को भी सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
9–प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी यथा–असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या –19, 20 व 21
10– यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरुद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में नही किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नही माना जायेगा।
11–यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नही है बल्कि प्रचलित जांच के चलते प्रविष्टि आस्थिगित (DEFER) की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी, व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति की संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।
12–कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या –4/2022/13 (4) 2021/का–1–2022 दिनांकित 06–05–2022 के प्रस्तर–6 में यह भी उल्लिखित है कि विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

चरित्र पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

नियुक्ति प्राधिकारी
पुलिस अधीक्षक
नाम, पद, मुहर

पुलिस अधीक्षक, कार्मिक स्तर पर दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षरित।
नाम, पद, मुहर

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश-।

टावर-1 चतुर्थ तल, (अनु0-18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602

संख्या:अठ्ठारह-233-(एसआई-लेखा)-2022 दिनांक: लखनऊ: अगस्त 3, 2022

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

Kind attention

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र-18 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

---

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:14.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक: 06.08.2021 को पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के 252 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 223 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर **http://uppolice.gov. in** में **'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment** पर **upload** अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक: 23.07.2015 को प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015,'' यथा-संशोधित दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत **पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा)** के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।

3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-प्रमोशन-नार्मस/2017 दिनांक:18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके कम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4. भर्ती/चयन वर्ष-2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु **अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के कमॉक-40 तक** के पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) का विवरण **नवीन बोर्ड प्रपत्र-16 में** प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा **सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट दिनांक: 01.07.2022 होगी।**

5. कर्मियों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा ''ओवर लुक'' हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **कमॉक-40** तक के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय।(**स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।**)

6. यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) द्वारा कोई अभियोग/ विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-16 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही **सभी पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-16 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।**

7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं

परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत् में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षो के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. **नवीन बोर्ड प्रपत्र–16 (48 कालम) में सूचनायें ए–3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा।** यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र–15 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) की **चरित्रपंजिकायें** एवं **बोर्ड प्रपत्र–16 (48 कालम) में सूचनायें (ए–3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा–पत्र दोनों 03–03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0 तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।**

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांक:14.07.2022 को पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **क्रमॉक–40** तक के पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार **नवीन बोर्ड प्रपत्र–16 (48 कालम)** में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को **दिनांक:12.08.2022** तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोपरि।**

Pe send by 12-8-22

(सर्वेश कुमार राना)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:**निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6– अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7– पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
8– अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।
9– पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
10– पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

# स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————————पुत्र

——————निवासी——————थाना——————जनपद——————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)————————————————नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र——————का पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांकः————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————धारा——————————थाना——————

जनपद—————में लम्बित है, जिसमें दिनांकः—————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांकः–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

# अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता चयन मानदण्ड के आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन के लिये निर्धारित बोर्ड प्रपत्र।

| क्र0सं0 | ज्येष्ठता सूची का कमांक | पात्रता सूची कमांक | पीएनओ नं0 | कर्मी का नाम | पिता का नाम | कैडर | वर्तमान तैनाती: जनपद–इकाई | वर्तमान तैनाती: परिक्षेत्र–अनुभाग | जन्मतिथि | पोषक पद पर भर्ती की तिथि | सेवा अवधि चयन वर्ष 2021 के लिए: वर्ष | माह | दिन | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य (चयन वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए): वर्ष | कब से | कब तक | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की श्रेणी | खराब, असंतोषजनक प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य परिणाम सहित: प्रतिकूल मन्तव्य को संसूचित करने की तिथि | प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | सत्यनिष्ठा (चयन वर्ष से पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए): सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | दीर्घ दण्ड –नियम–14(1) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण: दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना तथा पंक्तिच्युत करना जिसके अर्न्तगत निम्नतर वेतनमान या समय वेतनमान में निम्नतर प्रकम पर अवनति | लघुदण्ड–नियम–14(2) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण: दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड /अस्थायी रूप से कितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी गयी है।) | सम्बन्धित कार्मिक के विषय में दण्डोपरान्त विचारण सम्बन्धी सूचना: पूर्व में किस किस चयन वर्ष के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है। | वर्तमान निलम्बन (निलम्बन की वर्तमान स्थिति डीपीसी के दिनांक तक): निलम्बन आदेश संख्या, दिनांक | निलम्बन का कारण (अधिकतम 20 शब्दों में) | बहाली आदेश संख्या, दिनांक | लम्बित आपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है): अपराध संख्या/धारा/वर्ष/थाना/जनपद | आरोप पत्र संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक | अभियोग की अद्यतन स्थिति एवं न्यायालय का निर्णय व दिनांक | विभागीय कार्यवाही –नियम (14(1) के अर्न्तगत: जांच संगठन का नाम | आरोप का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | कार्मिक के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक | अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड/ अनुशासनिक कार्यवाही–/ अभियोग के विवेचनाधीन होने/अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय/ अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित): आदेश का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक | स्थानापन्न एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक के नाम का पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना | संस्तुति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 1 | 26754 | 1214 | 972013305 | मदन सिंह | श्री सौदान सिंह | आरक्षी पुलिस | आगरा | आगरा | 05-09-1975 | 17-08-1997 | 18 | 10 | 14 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020 | 01-01-16<br>01-01-17<br>01-01-18<br>01-01-19<br>01-01-20 | 31-12-16<br>31-12-17<br>31-12-18<br>31-12-19<br>31-12-20 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

नोटः–

1–प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाये।
2–उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev Fonts में ही तैयार की जाये।
3–एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।
4–एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।
5–अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6–बोर्ड प्रपत्र पर अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जाये। ऐसा न होने पर बोर्ड स्तर पर :

संलग्नक की चेक लिस्टः–

नोटः–निम्नांकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये।
1– अभियोग पंजीकृत होने की दशा मे कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तगण/कर्मी के नाम/पी0एन0ओ0 नम्बर/तैनाती सहित) आरोप पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या–45 में किया जाय।
2– विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र की प्रति।
3–दण्डादेश के विरूद्ध प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति।
4–बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्कम में जनपद स
5–यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षों में कर्मी के सेवा में होने के बावजूद भी वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं किया गया है तो उसका कारण।
6–कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।
7–विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किया जाये।
8–विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पंजिका/ बोर्ड प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के साथ ही इस बोर्ड को भी सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
9–प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी यथा–असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या –19, 20 व 21
10– यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरूद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में नही किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नही माना जायेगा।
11–यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नही है बल्कि प्रचलित जांच के चलते प्रविष्टि आस्थगित (DEFER) की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी, व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति की संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।
12–कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या –4/2022/13 (4) 2021/का–1–2022 दिनांकित 06–05–2022 के प्रस्तर–4 में यह भी उल्लिखित है कि विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| चरित्र पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर<br>नाम, पद, मुहर | प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर<br>नाम, पद, मुहर | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर<br>नाम, पद, मुहर | नियुक्ति प्राधिकारी<br>पुलिस अधीक्षक<br>नाम, पद, मुहर | पुलिस अधीक्षक, कार्मिक स्तर पर दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षरित।<br>नाम, पद, मुहर |

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश-।

टावर-1 चर्तुथ तल, (अनु0-18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602

संख्याःअठ्ठारह-एएसआई(लिपिक)-271-2022 दिनांकः लखनऊः अगस्त 01 ,2022

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र-17 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

---

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:18.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक:04.08.2021 को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) के 772 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 694 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर **http://uppolice.gov. in** में **'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment** पर **upload** अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांकः 23.07.2015 को प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015,'' यथासंशोधित एवं दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत **पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)** के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।

3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्याःपीआरपीबी-प्रमोशन-नार्मस/2017 दिनांक:18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके कम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4. भर्ती/चयन वर्ष-2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु **अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के कमॉक-250 तक (कमांक-2, 24 व 55 को छोड़कर)** के पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) का विवरण **नवीन बोर्ड प्रपत्र-17** में प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा **सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 01.07.2022 होगी।**

5. कर्मियों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा ''ओवर लुक'' हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **कमॉक-250 (कमांक-2, 24 व 55 को छोड़कर)** तक के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय।(**स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।**)

6. यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) द्वारा कोई अभियोग/ विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-17 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही **सभी पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-17 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।**

7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह

परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में **बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।**

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत् में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षो के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. **नवीन बोर्ड प्रपत्र-17 (48 कालम) में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा।** यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-17 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) की **चरित्रपंजिकायें** एवं **बोर्ड प्रपत्र-17 (48 कालम) में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0 तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।**

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांकः18.07.2022 को पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **क्रमॉक-250(क्रमांक-2, 24 व 55 को छोड़कर)** तक के पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार **नवीन बोर्ड प्रपत्र-17 (48 कालम)** में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को दिनांकः10.08.2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोपरि।**

01/08/22

(सर्वेश कुमार राना)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:**निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
8- अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।
9- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
10- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

01/08/22

1/8

1/8

AS1 (LIPIK) BOARD PRAPTA

# अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता चयन मानदण्ड के आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन के लिये निर्धारित बोर्ड प्रपत्र।

| क०सं० | ज्येष्ठता सूची का क्रमांक | पात्रता सूची क्रमांक | पीएनओ नं० | कर्मी का नाम | पिता का नाम | कैडर | वर्तमान तैनाती: जनपद–इकाई | वर्तमान तैनाती: परिक्षेत्र–अनुभाग | जन्मतिथि | पोषक पद पर भर्ती की तिथि | सेवा अवधि चयन वर्ष 2021 के लिए: वर्ष | माह | दिन | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य (चयन वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए): वर्ष | कब से | कब तक | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की श्रेणी | विवरण, असंतोषजनक प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य परिणाम सहित: प्रतिकूल मन्तव्य को संसूचित करने की तिथि | प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | सत्यनिष्ठा चयन वर्ष से पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए: सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | दीर्घ दण्ड –नियम–14(1) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण: दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना तथा पंक्तिच्युत करना जिसके अर्न्तगत निम्नतर वेतनमान या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति | लघुदण्ड–नियम–14(2) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण: दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड/अस्थायी रूप से कितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी गयी है।) | सम्बन्धित कार्मिक के विषय में दण्डोपरान्त विचारण सम्बन्धी सूचना: पूर्व में किस किस चयन वर्ष के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है। | वर्तमान निलम्बन (निलम्बन की वर्तमान स्थिति डीपीसी के दिनांक तक): निलम्बन आदेश संख्या, दिनांक | निलम्बन का कारण (अधिकतम 20 शब्दों में) | बहाली आदेश संख्या, दिनांक | लम्बित आपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है): अपराध संख्या/धारा/वर्ष/थाना/जनपद | आरोप पत्र संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक | अभियोग की अद्यतन स्थिति एवं न्यायालय का निर्णय व दिनांक | विभागीय कार्यवाही –नियम (14(1) के अन्तर्गत: जांच संगठन का नाम | आरोप का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | कार्मिक के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक | आदेश का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही–/ अभियोग के विवेचनाधीन होने/अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय/अभिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित): परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक | स्थानापन्न एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक के नाम का पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना | संस्तुति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 1 | 26754 | 1214 | 972013305 | मदन सिंह | श्री सौदान सिंह | आरक्षी पुलिस | आगरा | आगरा | 05–09–1976 | 17–03–1997 | 18 | 10 | 14 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020 | 01–01–16<br>01–01–17<br>01–01–18<br>01–01–19<br>01–01–20 | 31–12–16<br>31–12–17<br>31–12–18<br>31–12–19<br>31–12–20 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

नोटः–

1–प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाये।
2–उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev Fonts में ही तैयार की जाये।
3–एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।
4–एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।
5–अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6–बोर्ड प्रपत्र पर अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जाये। ऐसा न होने पर बोर्ड स्तर पर :

संलग्नक की चैक लिस्टः–

नोटः–निम्नांकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये।
1– अभियोग पंजीकृत होने की दशा में कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तगण/कर्मी के नाम/पी0एन0ओ0 नम्बर/तैनाती सहित) आरोप पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या–45 में किया जाय।
2– विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र की प्रति।
3–दण्डादेश के विरूद्ध प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति।
4–बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्क्रम में जनपद द्वारा
5–यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षों में कर्मी के सेवा में होने के बावजूद भी वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं किया गया है तो उसका कारण।
6–कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।
7–विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किया जाये।
8–विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पंजिका/ बोर्ड प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के साथ ही इस बोर्ड को भी सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
9–प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी यथा–असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या –19, 20 व 21
10– यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरूद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नहीं माना जायेगा।
11–यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं है बल्कि प्रचलित जांच के चलते प्रविष्टि आस्थगित (DEFER) की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी, व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति की संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।
12–कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या –4/2022/13 (4) 2021/का–1–2022 दिनांकित 06–05–2022 के प्रस्तर–6 में यह भी उल्लिखित है कि विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

| चरित्र पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर | प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर | नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस अधीक्षक नाम, पद, मुहर | पुलिस अधीक्षक, कार्मिक स्तर पर दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षरित। नाम, पद, मुहर |
|---|---|---|---|---|

# स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————————पुत्र

————————निवासी————————थाना——————जनपद————————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)————————————————————नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र——————————का पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांकः————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0————————धारा——————————————थाना——————————

जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनांकः——————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांकः–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

**शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स**

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश–।

टावर–1 चर्तुथ तल, (अनु0–18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602

संख्या:अठ्ठारह–एएसआई(लेखा)–271–2022 दिनांक:लखनऊ: अगस्त 01 ,2022

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) से पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्र पंजिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र–18 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

---

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:14.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक:29.07.2021 को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) के 227 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 183 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर **http://uppolice.gov. in** में **'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment** पर **upload** अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक: 23.07.2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015," यथासंशोधित एवं दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत **पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)** के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।

3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी–प्रमोशन–नार्मस/2017 दिनांक:18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके कम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4. भर्ती/चयन वर्ष–2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु **अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के कमॉक–122 तक** के पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) का विवरण **नवीन बोर्ड प्रपत्र–18 में** प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा **सेवा अवधि की गणना हेतु कट–आफ–डेट दिनांक 01.07.2022 होगी।**

5. कर्मियों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **कमॉक–122** तक के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा–पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा–पत्र में अंकित करा लिया जाय।(**स्वघोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न है।**)

6. यदि स्वघोषणा–पत्र में सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) द्वारा कोई अभियोग/ विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र–18 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही **सभी पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के स्वघोषित घोषणा–पत्र भी बोर्ड प्रपत्र–18 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।**

7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं परिक्षेत्रीय पुलिस

महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में **बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।**

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षो के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरूद्व पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. **<u>नवीन बोर्ड प्रपत्र-18 (48 कालम) में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा।</u>** यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-18 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) की **चरित्रपंजिकायें** एवं **बोर्ड प्रपत्र-18 (48 कालम) में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0 तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।**

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांक:14.07.2022 को पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **<u>कर्मांक-122</u>** तक के पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार <u>नवीन बोर्ड प्रपत्र-18 (48 कालम)</u> में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को दिनांक:10.08.2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**<u>संलग्नक : यथोपरि।</u>**

01/08/22

(सर्वेश कुमार राना)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:**निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ। 01/08/22
2- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
8- अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।
9- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
10- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ। 1/8/22

1/8

asim lekha anantim-20

# स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)——————————————————————पुत्र ————————निवासी————————थाना——————जनपद————————— वर्तमान में(जनपद/इकाई)——————————————————————नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र————————————का पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:—

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है औ न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है जिसमें दिनांकः————को आरोप—पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————————धारा——————————————————थाना——————— जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनांकः——————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————————स्तर पर चल रहा है।

2— मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा—पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान—
दिनांकः—

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट—स्वघोषणा—पत्र के प्रस्तर—1 के उपप्रस्तर—(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

## ...अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता चयन मानदण्ड के आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन के लिये निर्धारित बोर्ड प्रपत्र।

| | | | | | | | वर्तमान तैनाती | | | | सेवा अवधि चयन वर्ष 2021 के लिए | | | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य- (चयन वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए) | | | | खराब, असंतोषजनक प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य परिणाम सहित | | | सत्यनिष्ठा चयन वर्ष से पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए) | | | | दीर्घ दण्ड -नियम-14(1) पौषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण | | | | लघुदण्ड-नियम-14(2) पौषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण | | | | सम्बन्धित कार्मिक के विषय में अनुपयुक्तता विचारण सम्बन्धी सूचना | वर्तमान निलम्बन (निलम्बन की वर्तमान स्थिति डीपीसी के दिनांक तक) | | | लम्बित आपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है) | | | | विभागीय कार्यवाही -नियम (14(1) के अन्तर्गत | | | अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्ड/ अनुशासनिक कार्यवाही-/ अभियोग के विवेचनाधीन होने/अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय/ अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित) | स्थानापन्न एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक के नाम का पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | ज्येष्ठता सूची का क्रमांक | पात्रता सूची क्रमांक | पीएनओ नं0 | कर्मी का नाम | पिता का नाम | कैडर | जनपद-इकाई | परिक्षेत्र-अनुभाग | जन्मतिथि | पौषक पद पर भर्ती की तिथि | वर्ष | माह | दिन | वर्ष | कब से | कब तक | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की श्रेणी | प्रतिकूल मन्तव्य को संसूचित करने की तिथि | प्रत्यावेदन-अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन-अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना तथा पंक्तिच्युत करना जिसके अन्तर्गत निम्नतर वेतनमान या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति | दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड /अस्थायी रूप से कितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी गयी है।) | पूर्व में किस किस चयन वर्ष के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है। | निलम्बन आदेश संख्या, दिनांक | निलम्बन का कारण (अधिकतम 20 शब्दों में) | बहाली आदेश संख्या , दिनांक | अपराध संख्या/धारा/वर्ष/थाना/जनपद | आरोप पत्र संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक | अभियोग की अद्यतन स्थिति एवं न्यायालय का निर्णय व दिनांक | जाँच संगठन का नाम | आरोप का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | कार्मिक के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक | आदेश का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक | | संस्तुति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 1 | 26754 | 1214 | 972013305 | मदन सिंह | श्री सौदान सिंह | आरक्षी पुलिस | आगरा | आगरा | 05-09-1975 | 17-08-1987 | 18 | 10 | 14 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020 | 01-01-16<br>01-01-17<br>01-01-18<br>01-01-19<br>01-01-20 | 31-12-16<br>31-12-17<br>31-12-18<br>31-12-19<br>31-12-20 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

नोट:-

1-प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाये।
2-उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev Fonts में ही तैयार की जाये।
3-एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।
4-एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।
5-अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6-बोर्ड प्रपत्र पर अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जायें। ऐसा न होने पर बोर्ड स्तर पर :

संलग्नक की चेक लिस्ट:-

नोट:-निम्नांकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये।
1- अभियोग पंजीकृत होने की दशा में कर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तगण/कर्मी के नाम/पी0एन0ओ0 नम्बर/तैनाती सहित) आरोप पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या-45 में किया जाय।
2- विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र की प्रति।
3-दण्डादेश के विरुद्ध प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति।
4-बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्क्रम में जनपद /
5-यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षों में कर्मी के सेवा में होने के बावजूद भी वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं किया गया है तो उसका कारण।
6-कार्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।
7-विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किया जाये।
8-विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पंजिका/ बोर्ड प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप प
किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के साथ ही इस बोर्ड को भी सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
9-प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी यथा-असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल, स्पष्ट रूप से कालम संख्या -19, 20 व 21 .........
10- यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरुद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नहीं माना जायेगा।
11-यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं है बल्कि प्रचलित जांच के चलते प्रविष्टि आस्थगित (DEFER) की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी, व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति की संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।
12-कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या -4/2022/13 (4) 2021/का-1-2022 दिनांकित 06-05-2022 के प्रस्तर-6 में यह भी उल्लिखित है कि विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

| चरित्र पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर | प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर | सेनाधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर नाम, पद, मुहर | नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस अधीक्षक नाम, पद, मुहर | पुलिस अधीक्षक, कार्मिक स्तर पर दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षरित। नाम, पद, मुहर |
|---|---|---|---|---|